कराया गया ।

प्रति शपथपत्र की कंडिका-5 मे लिखा है कि याचीगण ने जो सूची अपनी रिट याचिका के साथ संलग्न की है, वह सूची उन अभ्यर्थियों की है, 000 जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था । यह कहना गलत है कि वह सूची चयनित 00 अभ्यर्थियों की है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रति शपथपत्र मे संलग्नक -सी0ए0 । की तरह दाखिल की गयी है । प्रति शपथ पत्र की उक्त कंडिका मे यह कहा गया है कि चयनित अध्यापकों की जो सूची दिनांक 14-3-85 को हुए साक्षात्कार के आधार पर तैयार की गयी, उसमे याचीगण का नाम नहीं है । आगे यह भी कहा गया है कि याचीगण प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए उक्त पद के लिए अर्ह नहीं है ।

उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण इस रिट याचिका का विरोध इस आधार पर कर रहे है कि दिनांक 14-3-85 को हुए साक्षात्कार के आधार पर तैयार की गयी चयनित 0000 अभ्यर्थियों की सूची मे याचीगण का नाम नहीं है, इसलिए याचीगण सहायक अध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल के पद पर नियुक्त नहीं किये गये । प्रतिशपथ पत्र के संलग्नक-सी0ए0 । के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि प्रतिशपथपत्र की कंडिका-5 मे कहे गये तथ्य असत्य है । प्रतिशपथ के संलग्नक -सी0ए0 । मे याचीगण का नाम क्रमांक 31/36, 32/35, 34/46 तथा 32/39 मे स्पष्ट अंकित है । प्रति शपथपत्र के संलग्नक-सी0ए0। मे स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 14-3-85 के साक्षात्कार के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची । उक्त संलग्नक से ही स्पष्ट है कि याचीगण 14-3-85 को हुए साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा चयनित किये गये थे । प्रतिशपथपत्र की कंडिका-5 का कथन उसके संलग्नक 0 से एकदम विपरीत है। संभवत: रिट याचिका का विरोध प्रति पक्षी सं0 । इस गलत अवधारणा के आधार पर कर रहे है कि याचीगण का नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची मे नहीं था, जबकि प्रति शपथपत्र के संलग्नक-सी0ए0 । से तो यह स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीगण का कथन कि याचीगण चयनित अभ्यर्थियों की सूची मे नहीं थे, स्पष्ट रूप से अभिलेखों के विपरीत है ।

जहां तक प्रतिपक्षीगण द्वारा उठायी गयी दूसरी आपत्ति का प्रश्न है कि याचीगण प्रशिक्षित अध्यापक नहीं थे, इसलिए याचीगण सहायक अध्यापक, उर्दू के पद पर जूनियर बेसिक स्कूल मे नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह नहीं 0 थे, इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है ।